भारत सरकार

प्रेस सूचना ब्यूरो

प्रेस नोट

दिनांक : 16 जून, 2021

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 28 फरवरी, 2021 से 7 मार्च, 2021 तक आयोजित भारतीय वन सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2020 के परिणाम के आधार पर निम्नलिखित अनुक्रमांक वाले उम्मीदवारों ने भारतीय वन सेवा परीक्षा-2020 (समूह 'क') के अंतर्गत चयन के लिए व्यक्तित्व परीक्षण हेतु अर्हता प्राप्त कर ली है।

2. इन उम्मीदवारों की उम्मीदवारी, इनके सभी प्रकार से पात्र पाए जाने के अध्यधीन अनंतिम है। उम्मीदवारों को उनके व्यक्तित्व परीक्षण के समय, आयु, शैक्षणिक योग्यताओं, समुदाय, ईडब्ल्यूएस, बेंचमार्क विकलांगता के अपने दावों के समर्थन में मूल प्रमाण पत्र तथा अन्य दस्तावेज, जैसे यात्रा भत्ता प्रपत्र आदि प्रस्तुत करने होंगे। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग/ बेंचमार्क विकलांगता संबंधी प्रमाण पत्रों के प्रपत्र तथा यात्रा भत्ता फार्म आदि को आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। इसलिए उन्हें सलाह दी जाती है कि वे संबंधित दस्तावेज तैयार रखें। अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./ ईडब्ल्यूएस/बेंचमार्क विकलांगजन/पूर्व-सैन्य कर्मियों के लिए उपलब्ध आरक्षण/रियायत का लाभ उठाने के इच्छुक उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले मूल प्रमाण-पत्र अनिवार्यत:, सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2020 के माध्यम से भारतीय वन सेवा परीक्षा-2020 हेतु आवेदन-पत्र जमा करने की अंतिम तारीख अर्थात् 03.03.2020 से पहले जारी हुए होने चाहिए।

3. इन उम्मीदवारों का व्यक्तित्व परीक्षण (साक्षात्कार) उचित समय पर आयोजित किए जाने की संभावना है। व्यक्तित्व परीक्षण, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110069 के कार्यालय में आयोजित होगा। उम्मीदवारों के व्यक्तित्व परीक्षण (साक्षात्कार) हेतु ई-समन पत्र उचित समय उपलब्ध कराए जाएंगे जब भी ई-समन पत्र आयोग की वेबसाइट http://www.upsc.gov.in तथा

...2.-

http://www.upsconline.in **पर अपलो**ड किये जायेंगे, उम्मीदवार उन्हे वहा डाउनलोड कर सकते है। ऐसे उम्मीदवार, जिन्हें व्यक्तित्व परीक्षण हेतु ई-समन पत्र डाउनलोड करने में कठिनाई हो, वे आयोग कार्यालय से पत्र द्वारा या **टेलीफोन नं. 011-23385271, 011-23381125, 011-23098543 या फैक्स नं. 011-23387310, 011-23384472** पर या ई-मेल (skindo-upsc@gov.in) के माध्यम से तत्काल संपर्क करें। आयोग द्वारा व्यक्तित्व परीक्षण/साक्षात्कार हेतु कोई कागजी समन पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

4. सामान्यत:, उम्मीदवारों को सूचित की गई व्यक्तित्व परीक्षण की तारीख तथा समय में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. व्यक्तित्व परीक्षण/साक्षात्कार के लिए अर्हता प्राप्त सभी उम्मीदवारों को, सार्वजनिक प्रकटन योजना के अंतर्गत अपने अंकों को सार्वजनिक रूप से प्रकट करने (ऑप्ट इन) या नहीं करने (ऑप्ट आउट) में से किसी एक विकल्प को चुनना होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पत्र सं. 39020/1/2016-स्था.(ख) दिनांक 21.06.2016, 19.07.2017 तथा **"पोर्टल के माध्यम से सार्वजनिक प्रकटन के प्रयोजन से उन उम्मीदवारों के अंकों की घोषणा, जिन्हें आयोग द्वारा परीक्षा के परिणाम के आधार पर अनुशंसित नहीं किया गया है"** संबंधी आयोग के नोट का अवलोकन करें। उम्मीदवार यह नोट कर लें कि ऑप्ट इन/ऑप्ट आउट का विकल्प प्रस्तुत किए बिना वे अपना ई-समन पत्र डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। उम्मीदवार नोट कर लें कि इस संबंध में, बाद में किसी परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

6. विस्तृत आवेदन पत्र-II(डीएएफ-II) के संदर्भ में भारतीय वन सेवा (प्रधान) परीक्षा-2020 की नियमावली में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

I. भारतीय वन सेवा (प्रधान) परीक्षा-2020 के परिणाम के आधार पर व्यक्तित्व परीक्षण/साक्षात्कार के लिए अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों को, डीएएफ-II के माध्यम से जोन(जोनों)/राज्य(राज्यों) संवर्ग के लिए अपना वरीयता क्रम प्रदान करना होगा। डीएएफ-II, आयोग की वेबसाइट पर **23 /06/2021 से 06 /07/2021 (सायं 6.00 बजे)** तक उपलब्ध रहेगा।

II. **एक बार चुन ली गई और सब्मिट कर दी गई वरीयताओं को बाद में संशोधित अथवा परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा। अत: उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि जोनों और उनके अंतर्गत संवर्गों के संबंध में अपनी वरीयताएं भरते समय पर्याप्त सावधानी बरतें। किसी उम्मीदवार द्वारा जोनों के संबंध में एक बार प्रदान की गई वरीयताओं में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई उम्मीदवार, निर्धारित अंतिम तारीख/समय तक डीएएफ-II के को सब्मिट करने में विफल रहता है, तो यह मान लिया जाएगा कि जोनों और संवर्गों के संबंध में उसे कोई वरीयता प्रदान नहीं करनी है और इस संबंध में किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।**

III. डीएएफ-II में पहले प्रदान की गई सूचना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन करने के किसी भी अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। तथापि, जहां कहीं आवश्यक हो, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि उनके पते/ संपर्क संबंधी विवरण में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर, इस प्रेस नोट के प्रकाशन के 7 दिनों के भीतर पत्र, ई-मेल (skindo-upsc@gov.in)अथवा ऊपर दर्शाए गए नंबरों पर फैक्स द्वारा आयोग को सूचना तत्काल भेजी जाए।

7. अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों के नाम तथा अनुक्रमांक संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट www.upsc.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। अर्हक हुए उम्मीदवारों को वह फोटो आईडी व्यक्तित्व परीक्षण (साक्षात्कार) के समय अपने साथ लाना होगा, जिसका उल्लेख उन्होंने डीएएफ-II में किया है।

8. जिन उम्मीदवारों ने अर्हता प्राप्त नहीं की है, उनके अंक-पत्र अंतिम परिणाम (व्यक्तित्व परीक्षण के आयोजन के बाद) प्रकाशित होने की तारीख से 15 दिन के भीतर आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएंगे तथा वेबसाइट पर 30 दिनों तक उपलब्ध रहेंगे।

INDIAN FOREST SERVICE (MAIN) EXAMINATION,2020

0102104	0207249	0229651	0301298	0302235	0316305	0319662	0323476	0329534
0332779	0333567	0333706	0400024	0400797	0404151	0405242	0413996	0414278
0415215	0419917	0422084	0506355	0509213	0509913	0510970	0514179	0705238
0710056	0715363	0801009	0801662	0801842	0803894	0803971	0806074	0806225
0807956	0810152	0813455	0816052	0816548	0817384	0819270	0820475	0824175
0825126	0827468	0829179	0829918	0832239	0832772	0833767	0834634	0835613
0838861	0840542	0843674	0846320	0847483	0848230	0848565	0850259	0850966
0856423	0860916	0860919	0871185	0871190	0902405	0904971	1010526	1016150
1017572	1024917	1037940	1038593	1040820	1104622	1108141	1108530	1112147
1118577	1124043	1131784	1134380	1134877	1136056	1138325	1138999	1140787
1142041	1142162	1143190	1145549	1201952	1204054	1204215	1206158	1207489
1209707	1210900	1302496	1303818	1304449	1309811	1310850	1401104	1404055
1410968	1511145	1520868	1522477	1522676	1526007	1526918	1532411	1535020
1538912	1543082	1900051	1905061	1910299	1910520	1912307	2104781	2200536
2202305	2601218	2605338	2608414	2611884	2612932	2616962	2618218	2619921
2629288	2632843	3510779	3514038	3523831	3528162	3536898	3804665	3804912
3808043	3809236	3809863	3809883	3810028	3810465	3903939	3906887	4104034
4121957	4900669	4906511	4906975	4910426	4910832	5102753	5110630	5416472
5416801	5605020	5606108	5606617	5607027	5607235	5608182	5802219	5803737
5807277	5809046	5904695	5914567	5918038	6119017	6300177	6301586	6308521
6310247	6312605	6314230	6316174	6401849	6402648	6402711	6417459	6418096
6504499	6505674	6600314	6604709	6604993	6605612	6607076	6607275	6610926
6611545	6613014	6615750	6616921	6617826	6619203	6619422	6620234	6623676
6625781	6628622	6800597	6802873	6806080	6810315	6900815	6905519	7203220
7301533	7303197	7504403	7915514	7915573	8101541			

CONCLUDED

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

NEW DELHI - 110 069 - 16TH JUNE, 2021 / 6TH JYAISHTHA, SAKA 1943.